झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — प्रथम सत्र

संख्या-04 — शुक्रवार, दिनांक-09 जनवरी, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 07.20 बजे संध्या तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

1. इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो एवं श्री जानकी प्रसाद यादव हाथों में पोस्टर लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर झारखण्ड में स्थानीयता की नीति लागू करने की माँग करने लगे जिनका समर्थन माननीय सदस्य, सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, राजकुमार यादव, गणेश गंझू, आलमगीर आलम, अमर कुमार बाउरी, इरफान अंसारी, रवीन्द्र महतो एवं श्री अमित कुमार द्वारा किया जाने लगा। आसन के निदेश पर मार्शल द्वारा तुरत पोस्टर ले लिये गये। विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य कुछ बोल रहे थे जो शोरगुल के कारण सुनाई नही दे रहा था।
2. झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा गिरिडीह से गिरफ्तार सर्वश्री आफताब, छोटू, बबन, शमीम, कुर्बान एवं अन्य अज्ञातों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की उच्च स्तरीय जाँच की माँग की गयी जिसका समर्थन उनके दल के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। आसन द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो विषय आया है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान सरकार इस सम्बन्ध में बातें रखेगी तदुपरांत सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गये।

2. आसन से घोषणा:-

आसन द्वारा घोषणा की गयी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्राप्त सभी संशोधनों को पढ़ा हुआ मान लिया गया है तत्पश्चात् इस पर वाद-विवाद के लिये माननीय सदस्य, श्री सरयू राय से प्राप्त प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिये गये समर्थन पर अपने विचारों को रखने हेतु विभिन्न दलों को आवंटित समय की घोषणा भी की गयी।

3. धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन एवं ~~इसपर~~ उस पर वाद-विवाद:-

माननीय सदस्य, श्री सरयू राय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा किया गया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा सदन में माननीय मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए उनकी उपस्थिति की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में आसन द्वारा अवगत कराया गया कि सदन सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी से चलती है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित है।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

श्री स्टीफन मराण्डी,

श्री रामचन्द्र सहिस,

श्री प्रदीप यादव,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता ने चतरा जिला के पत्थलडा में महिलाओं की नसबन्दी टॉर्च की रोशनी में किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,

श्री राज कुमार यादव,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री स्टीफन मराण्डी एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि आज शुक्रवार है (जुम्मा) का दिन है, इसलिए पूर्व परम्परा के अनुसार 12.30 बजे अप० में ही सदन को स्थगित किया जाय। आसन द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि सम्बन्धित माननीय सदस्य सदन से जा चुके हैं। माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी द्वारा पुनः 12.30 बजे अप० में सदन के स्थगन हेतु आसन से आग्रह किया गया, लेकिन सदन के स्थगित नही होने के विरोध स्वरूप माननीय सदस्य श्री राजकुमार यादव को छोड़कर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया। माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव ने अपना अभिभाषण जारी रखा तदुपरांत वे भी सदन से चले गये।)

डॉ० नीरा यादव,

श्री बिरंची नारायण,

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

4. धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन एवं उसपर वाद-विवाद(क्रमांक-3 से जारी):- अन्तराल के पूर्व से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जारी वाद-विवाद में माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने अपना विचार जारी रखा।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने सभा-नियम का उल्लेख करते हुए समय आवंटन की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया। आसन द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि अन्तराल के पूर्व में ही सभी दलों को समय आवंटित कर दिया गया है।)

श्री राज सिन्हा

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्रीमती निर्मला देवी ने बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्र में आम्रपाली कोल कम्पनी द्वारा रैयतों के दोहन किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।)

श्री मनोज कुमार यादव,
श्री मनीष जयसवाल,
श्री भानु प्रताप शाही,
श्रीमती गीता कोड़ा,
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,
श्री कुणाल षड़ंगी,
श्री अरूप चटर्जी

(इस अवसर पर सदन की सहमति से अनुपूरक बजट पर चर्चा होने तक सदन के समय का विस्तार किया गया तत्पश्चात् सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा उत्तर दिया गया।)

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यदि कोई माननीय सदस्य अपनी बातें रख रहे हों, तो अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बीच में न टोका जाय।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो ने स्थानीय नीति लागू किये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया तथा माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा शालीनतापूर्वक सरकारी उत्तर दिये जाने की अपेक्षा की गयी। माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा माननीय केन्द्रीय नेता, श्री अहमद पटेल का नाम लिये जाने पर आपत्ति जतायी गयी।)

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तत्पश्चात् ध्वनिमत से कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय सदस्य, श्री अनंत कुमार ओझा द्वारा समर्थित मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. वित्तीय कार्य:-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष- 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिसपर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

श्री प्रदीप यादव,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,
श्री राधाकृष्ण किशोर,
श्री आलमगीर आलम,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं
श्री हेमन्त सोरेन (नेता, प्रतिपक्ष)

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिये जाने के फलस्वरूप सदन में वोटिंग हुई जिसमें कटौती प्रस्ताव के पक्ष में 37 तथा विपक्ष में 40 वोट पड़े एवं कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तत्पश्चात् **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग''** की माँग स्वीकृत हुई। अनुदान में सम्मिलित शेष माँगें गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत की गयी।

6. विधायी कार्य:-

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2015" पुरःस्थापित किया गया जो विचारोपरांत सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

7. राजकीय संकल्प:-

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित संविधान का 121वाँ संशोधन प्रस्तुत किया गया जिसपर सर्वसम्मति से सभा की सहमति प्राप्त हुई।

8. वित्तीय समितियों के गठन हेतु प्राधिकृत किया जाना:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 237, 239 एवं 241 के अधीन किये गये प्रावधानों के तहत झारखण्ड विधान सभा में वित्तीय समितियों- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के गठन हेतु माननीय विधान सभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से सदन द्वारा प्राधिकृत किया गया।

9. विशेषाधिकार का मामला:-

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के कार्यकाल में तत्कालीन माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा श्री दिलीप कुमार झा, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोड्डा के विरूद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर तत्कालीन विशेषाधिकार समिति के निर्णय को निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया जो पुनर्विचारोपरांत ध्वनिमत से निरस्त हुआ।

10. शोक प्रकाश:-

विगत सत्र से अब तक की अवधि में दिवंगत हुए महत्त्वपूर्ण राजनेताओं, समाजसेवियों तथा कलाकारों यथा विशेश्वर खां, एच. के. लाल, कमला सिन्हा, ए.आर. अंतुले, बनमाली सिंह मुण्डा, मार्शल कुल्लू, मुरली देवड़ा, प्रो० पद्मदेव नारायण शर्मा, मुंशी लाल राय, महंथ अवैद्यनाथ, साहित्यकार राबिन शॉं पुष्प, फिल्म अभिनेता, प्राण, देवेन वर्मा और सदाशिव अमरापुरकर एवं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य, धान सिंह मुण्डारी के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शोक संवेदना प्रकट की गयी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री, डॉ० विजय कुमार सिंह, बीजू जनता दल के सांसद, हेमेन्द्र चन्द्र सिंह, स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में शहीन हुए लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार शुक्ला, रावण दहन के दौरान हुए भगदड़ में पटना में मारे गये 33 व्यक्तियों, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में सी.आर.पी.एफ. के दो पदाधिकारियों सहित शहीद हुए ग्यारह जवानों, कश्मीर में बाढ़ के कारण मृत एक सौ लोगों, पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में घुसकर आतंकियों के हमले में मृत 132 स्कूली बच्चों, पेरिस के एक अखबर दफ्तर में आतंकियों के हमले में मृत दस लोगों के अतिरिक्त अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति भी संवेदना व्यक्त की गयी। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री, माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय मंत्री, श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी एवं माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राम द्वारा भी शोक संवेदनायें प्रकट की गयी। इसके पश्चात् दो मिनट का मौन रखा गया तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चत काल के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 09 जनवरी, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।